

झारखण्ड सरकार,  
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

~::~: अधिसूचना :::~

राँची, दिनांक- 02/11 /2021 ई०।

संख्या-13/सी० -101/2019-.....4240.../श्री के० विजय शंकर, भा०पु०से०(2018), सम्प्रति अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मेदिनीनगर (सदर पुलिस अनुमंडल), पलामू को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11 एवं 20 के तहत दिनांक- 14.09.2020 से दिनांक- 20.09.2020 तक कुल-07(सात) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(शैलेश कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-13/सी०-101/2019-...../

राँची, दिनांक- / / 2021 ई०।

प्रतिलिपि-महालेखाकार, झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-13/सी०-101/2019-.....4240.../

राँची, दिनांक- 02/11 / 2021 ई०।

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि:-नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/ महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/ महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची/ महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची/अध्यक्ष -सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि०, राँची/ सभी अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, झारखण्ड/ संबंधित पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-14, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/10/2021

सरकार के अवर सचिव।